सं.38/05(25)/2024-पी&पीडबल्यू(ए)(9633)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 15.07.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय : पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को न्यायिक मामलों के संदर्भ भेजने हेतु नीति – अनुदेश – संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 07.10.2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/70/14-पी&पीडबल्यू(ए) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जो न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन या अन्यथा ऐसे सभी मामलों में इस विभाग के साथ परामर्श करने के संबंध में हैं, जिनमें पेंशन से संबंधित कोई नीतिगत मुद्दा सम्मिलित है।

2. पेंशन संबंधी मामलों का नोडल विभाग होने के कारण पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, लगभग सभी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण(कैट)/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायिक मामलों में, संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ या तो मुख्य पक्ष या प्रोफार्मा पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया जाता है।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.02.2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43011/9/2014-स्था.डी और दिनांक 16.06.2016 के अ.शा. पत्र संख्या 1/50/3/2016-कैब के निर्देशानुसार, न्यायिक मामले में सरकार की ओर से बचाव करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का है। तथापि, यदि मामले से सुसंगत नियमों या अनुदेशों की व्याख्या करने या लागू किए जाने पर किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो संबद्ध मंत्रालय/विभाग नोडल विभाग से परामर्श कर सकता है, जिसके प्रयोजनार्थ न्यायालय के समक्ष एकीकृत रूख लिया जाए और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा सरकार की ओर से एक साझा प्रतिउत्तर दाखिल किया जाए। किसी भी परिस्थिति में मुकदमे को इतना लंबा नहीं चलने दिया जाए कि इसके परिणामस्वरूप अवमानना की कार्यवाहियां हो।

4. मौजूदा नीति के अधीन, इस विभाग को ऐसे मामलों में अंतर-मंत्रालयी संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं, जहां एसएलपी मामले दाखिल किए जाने हैं। तथापि, यह देखा गया है कि माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण(कैट) और उच्च न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में एसएलपी का ग्रहण न्यूनतम है, क्योंकि तथ्य/नीति के मुद्दों को पूर्व में संबोधित किया जा चुका है। अत: न्यायालयों के समक्ष भारत संघ के हितों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालयों के समक्ष अभिवचन में सरकारी नीति/नियमों को प्रस्तुत करने की गुणवत्ता में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है।

जारी....पृ/2

5. अतः, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी मामले, जिनमें मंत्रालय/विभाग केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमों/नीति से संबंधित मुद्दों को उच्च न्यायालयों के समक्ष ले जाना चाहते हों, उन्हें समयबद्ध रीति से प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के विचारों सहित पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को संदर्भित किया जाए और इस विभाग से प्राप्त टिप्पणियों/सुझाव, यदि कोई हों, को प्रमुख पेंशन नीतिगत मुद्दों से जुड़े मामलों में माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तुतीकरण में सम्मिलित किया जाए।

6. प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने प्रस्ताव को संदर्भित करते समय मामले से संबंधित सभी तथ्यों को एक स्व-निहित नोट में सदैव दर्शाएं। इस नोट में याचिकाकर्ता/आवेदक द्वारा मांगी गई राहत, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की पूर्व सलाह/राय, न्यायालय/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण(कैट) के समक्ष विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्तुतीकरण, निर्णय पर सरकारी वकील की राय, विधि कार्य विभाग और व्यय विभाग/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की राय, यदि कोई हो, भी सम्मिलित की जाए। **सभी संदर्भ, मामले पर अपने विचारों सहित तथा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव की मंजूरी के साथ, इस विभाग को पहले ही भेजे जाएं।**

7. उपरोक्त अनुदेशों को सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जाए ताकि उनका सख्ती से अनुपालन हो सके। ये अनुदेश व्यय विभाग के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

8. इसे इस विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(ध्रुवज्योति सेनगुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24625540
ई-मेल : js-doppw@nic.in

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

i. सचिव, व्यय विभाग
ii. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
iii. सचिव, विधि कार्य विभाग
iv. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी